

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-21/सम्पेक्षा/म0आ0य0/2010-11

दिनांक १९ अगस्त-2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-692/26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010, दिनांक 18-08-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 1,25,00,00,000/- (रूपये एक अरब पचीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रू0 4191.20 लाख (रू0 इकतालीस करोड़ इक्यानवें लाख बीस हजार मात्र) संलग्नक के कालम-4 के अनुसार जनपदों डा0 अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु मांग की धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

2- डा0 अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु सभी जनपदों से प्राप्त सूचनओं एवं दूरभाष पर हुई वार्ता के आधार पर यह धनराशि आवंटित की जा रही है। यदि इसके उपरान्त किसी जनपद को धनराशि का आवश्यकता होती है तो दो दिन के भीतर अपनी औचित्य पूर्ण, प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए एवं दूरभाष पर भी सूचित किया जाए।

3- आवंटित की जा रही धनराशि से अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

4- उक्त आवंटित धनराशि के व्यय/उपयोग लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5- आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

6- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।


7- आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

9- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-180 पर कर ली गई है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: जीओ-21/सम्प्रेक्षा/म०आ०यो०/2010-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/नियोजन अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र०शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र०शासन।
- 10- विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या-692/26-ब०प्र०-2010-01(बजट)/2010, दिनांक 18-8-2010 के क्रम में।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

पत्र संख्या-जीओ- 21 /सम्प्रेक्षा/म0आ0यो0/2010-11, दिनांक १० अगस्त-2010 का संलग्नक
(महामाया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	डा० अम्बेडकर ग्रामों में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत मांग किये गये आवासों की संख्या	कालम-3 के सापेक्ष आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4	5
1	MEERUT	0	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	47	21.15	36.00
3	BULANDSHAHAR	0	0.00	85.05
4	G.B. NAGAR*	74	33.30	37.35
5	BAGPAT	0	0.00	2.25
6	SAHARANPUR	0	0.00	148.95
7	MUZAFARNAGAR	0	0.00	47.25
8	MORADABAD	0	0.00	63.90
9	BIJNOR	0	0.00	99.90
10	RAMPUR	0	0.00	43.20
11	J.B.F. NAGAR	0	0.00	14.85
12	BAREILLY	52	23.40	153.00
13	BADAUN	0	0.00	200.70
14	SHAHJAHANPUR	1087	489.15	933.30
15	PILIBHIT	182	81.90	218.70
16	AGRA	0	0.00	36.45
17	MAINPURI*	152	68.40	155.70
18	MATHURA	0	0.00	83.70
19	FIROZABAD	26	11.70	45.00
20	ALIGARH	0	0.00	70.65
21	ETAH	0	0.00	40.05
22	KANSHIRAM NAGAR	0	0.00	38.70
23	HATHRAS	6	2.70	9.90
24	JHANSI	330	160.05	295.85
25	JALAUN	0	0.00	79.54
26	LALITPUR	400	194.00	324.95
27	BANDA	0	0.00	156.17
28	HAMIRPUR	0	0.00	43.65
29	MAHOBA	0	0.00	82.45
30	CHITRAKUT	0	0.00	207.89
31	ALLAHABAD	4	1.80	266.85
32	FATEHPUR	214	96.30	585.45
33	PRATAPGARH	0	0.00	337.95
34	KAUSHAMBHI	0	0.00	161.55
35	KANPUR NAGAR	207	93.15	162.90
36	KANPUR DEHAT	150	67.50	317.70
37	ETAWAH	150	67.50	147.60
38	FARRUKHABAD	0	0.00	70.20
39	KANNAUJ	0	0.00	131.85
40	ORRAIYA	0	0.00	49.05

2.

पत्र संख्या-जीओ- 21 /सम्प्रेक्षा/म0आ0यो0/2010-11, दिनांक 28 अगस्त-2010 का संलग्नक
(महामाया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	डा0 अम्बेडकर ग्रामों में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत मांग किये गये आवासों की संख्या	कालम-3 के सापेक्ष आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4	5
41	VARANASI	0	0.00	115.20
42	GHAZIPUR	0	0.00	211.50
43	JAUNPUR	0	0.00	516.15
44	CHANDALI	0	0.00	29.25
45	MIRZAPUR	500	225.00	387.45
46	SONBHADRA	1350	607.50	1156.50
47	S. R. NAGAR	424	190.80	301.50
48	LUCKNOW	1558	701.10	960.30
49	SITAPUR	300	135.00	802.60
50	UNNAO	292	131.40	440.10
51	HARDOI	0	0.00	555.30
52	KHERI	0	0.00	549.20
53	RAE BARELI	573	257.85	486.45
54	GORAKHPUR	0	0.00	175.05
55	DEORIA	135	60.75	101.70
56	KUSHINAGAR	99	44.55	121.50
57	MAHRAJGANJ	0	0.00	245.25
58	BASTI	0	0.00	139.50
59	SIDHARTHANAGAR	0	0.00	178.65
60	S.K.NAGAR	0	0.00	121.50
61	AZAMGARH	0	0.00	303.75
62	MAU	100	11.25	204.30
63	BALLIA	0	0.00	527.40
64	FAIZABAD	0	0.00	149.85
65	BARABANKI	285	128.25	655.65
66	SULTANPUR	0	0.00	547.20
67	AMBEDKARNAGAR	0	0.00	148.50
68	GONDA	0	0.00	240.30
69	BAHRAICH	0	0.00	6.75
70	BALRAMPUR	122	54.90	66.15
71	SHRAWASTI	513	230.85	260.55
STATE TOTAL		9332	4191.20	16691.20

(रु० इकतालीस करोड़ इक्यानवे लाख बीस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)

अपर आयुक्त(लेखा)

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

90-21/10/10

संख्या- 692/26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

✓ आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 18 अगस्त, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-129/सम्प्रेक्षा/महामाया आवास/2010-11 दिनांक 23 जुलाई, 2010 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-348/26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि में से 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 12500.00 लाख (₹0 एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 125,00,00,000/- (₹0 एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त स्वीकृति धनराशियों में से 10 प्रतिशत अर्थात् ₹0 25,00,00,000/- (₹0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर आरक्षित रहेगी। आवश्यकतानुसार शासन (बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण) की अनुमति से व्यय/आवंटित किया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।
- 6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।
- 7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-“2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी” के नामें डाला जायेगा ।


.....2/-

CAO
23/8/10
23/8/10

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1462/दस-2010, दिनांक 12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,



(भूपेन्द्र सिंह)

सचिव ।

संख्या- 692 (1)/26-ब0प्र0-2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
- 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
- 8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
- 9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,



(उमा शंकर सिंह)

अनु सचिव ।

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 18 अगस्त, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-129/सम्प्रेक्षा/महामाया आवास/2010-11 दिनांक 23 जुलाई, 2010 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-348/26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि में से 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 12500.00 लाख (₹0 एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 125,00,00,000/- (₹0 एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त स्वीकृति धनराशियों में से 10 प्रतिशत अर्थात् ₹0 25,00,00,000/- (₹0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर आरक्षित रहेगी। आवश्यकतानुसार शासन (बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण) की अनुमति से व्यय/आवंटित किया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।
- 6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।
- 7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-“2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी” के नामें डाला जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1462/दस-2010, दिनांक 12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव ।

संख्या- 692(1)/26-ब0प्र0-2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
- ✓ 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
- 8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
- 9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।